



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Chaudhary Charan Singh University, Meerut

E.mail : ar.affiliation@ccsuniversity.ac.in NAAC A++

Website :

www.ccsuniversity.ac.in

पत्रांक:-सम्बद्धता / 2000 / 2026-27

दिनांक :08.08.2026

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या/सचिव
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, परिसर
मेरठ

विषय:- हर घर तिरंगा अभियान-2026 के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया शिक्षा निदेशक (उ0शि0), प्रयागराज के संलग्न पत्र संख्या-डिग्री विकास/1254/2026-27 दिनांक 07.08.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो कि हर घर तिरंगा अभियान-2026 के आयोजन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान किये गये हैं के सम्बन्ध में है।

उक्त के सम्बन्ध में आपसे अपेक्षा है कि आप अपने-अपने महाविद्यालय/संस्थानों/परिसर में हर घर तिरंगा अभियान-2026 के उल्लिखित शासनादेशों एवं दिये गये दिशा निर्देशों के आलोक में दिनांक 06.08.2026 से 15.08.2026 की अवधि में कार्यक्रमानुसार व्यापक जनसहभागिता से हर घर तिरंगा कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

Blane
08/8/26
कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

01. वैयक्तिक सहायक कुलपति को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
02. छात्र कल्याण अधिष्ठाता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
03. कुलानुशासक, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
04. अध्यक्ष,साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परिषद, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
05. समन्वयक ललित कला विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
06. वित्त अधिकारी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
07. विश्वविद्यालय अभियन्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
08. प्रभारी प्रैस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
09. प्रभारी विश्वविद्यालय बेवसाइट चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

कुलसचिव

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग,
प्रयागराज।

ई – मेल/HGT

सेवा में,

1. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त कुलसचिव, राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:- डिग्री विकास/ 1254 /2026 – 27

दिनांक – 07/ 08/2026

विषय – हर घर तिरंगा अभियान – 2026 के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया इस पत्र के साथ संलग्न शासन के पत्र संख्या 787/सत्तर – 3 – 2025 दिनांक 05 अगस्त, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ संलग्न संस्कृति अनुभाग के पत्र संख्या 2225 /चार-2026-1955062, दिनांक 05 अगस्त, 2026 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से अवगत कराया गया है कि शासनादेश संख्या-183/2026/2084/चार-2026-1955062 दिनांक 31 जुलाई, 2026 द्वारा प्रदेश में दिनांक 09 से 17 अगस्त 2026 के बीच 'हर घर तिरंगा अभियान-2026' के आयोजन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। जिला स्तर पर उक्त कार्यक्रम का समन्वय जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

2-इस सम्बन्ध में 'हर घर तिरंगा अभियान-2026' के उल्लिखित शासनादेश के क्रम में दिनांक 06 अगस्त से 15 अगस्त, 2026 की अवधि में चरणवार उक्त संदर्भित पत्र के निर्देशानुसार व्यापक जनसहभागिता से 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये हैं:-

1. प्रथम चरण (दिनांक 06 08 अगस्त 2026)

I. स्कूलों की दीवारों और बोर्डों को तिरंगा से प्रेरित कलाकृतियों से सजाना।

II. संस्कृति तिरंगा प्रदर्शनी (वेबसाइट www.harghartiranga.com से डाउनलोड) का प्रदर्शन मुख्य मंत्रालय द्वारा हर घर कार्यक्रमों के दौरान एवं शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी भवनों शॉपिंग मॉल, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, बस अड्डा सार्वजनिक उद्यान आदि चिन्हित स्थानों पर किया जाना।

III. स्कूलों, कॉलेजों, सार्वजनिक स्थलों आदि पर तिरंगा रंगोली प्रतियोगिताओं का आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा।

IV. विद्यार्थियों द्वारा सैनिकों और पुलिसकर्मियों को 'आभार पत्र' लिखकर 'डाक विभाग के समन्वय से भेजना।

V. तिरंगा और उससे सम्बन्धित वस्तुओं आदि की बिक्री को व्यापक रूप से प्रोत्साहित करते हुए स्थानीय बाजारों में सौंदर्यपरक तिरंगा प्रकाश और सजावट किया जाना।

VI. पंचायती राज विभाग/नगर विकास विभाग द्वारा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से तैयार किये गये झण्डों का विक्रय सुनिश्चित कर लिया जाये। झण्डों का विक्रय पूर्व के वर्षों की भांति एक टोकन मनी के साथ किया जाये।

VII. स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े शहीद स्थलों व मूर्तियों एवं तोरण द्वारों की कार्यक्रम से पूर्व साफ-सफाई एवं रंगाई-पुताई का कार्य जिलाधिकारी द्वारा स्थानीय प्रशासन, स्थानीय निकायों, राजनैतिक पेंशन, सैनिक कल्याण, पर्यटन विभाग इत्यादि के माध्यम से करायी जाये।

2- द्वितीय चरण (दिनांक 09 से 12 अगस्त 2026)

I. प्रत्येक जिलों में स्कूल/कालेज तथा तकनीकी संस्थानों में जिलाधिकारी द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन प्रमुख पर आधारित प्रतियोगिता करायी जाय, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त विद्यालयों को आमंत्रित कर 26 जनवरी 2027 को सम्मानित किया जाये।

II. द्वितीय चरण में तिरंगा महोत्सव के रूप में एक बड़ा आयोजन किया जाएगा जिसके अन्तर्गत वृहद 'तिरंगा मेला' और 'भव्य तिरंगा म्यूजिकल कॉसर्ट' आयोजित किया जाना।

III प्रदेश स्तरीय तिरंगा महोत्सव का आयोजन किसी प्रमुख स्थल पर व्यापक जनभागीदारी के साथ किया जाए। इस कार्यक्रम में स्थानीय माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों एवं खिलाड़ियों की उपस्थिति भी सुनिश्चित की जाएगी।

IV. तिरंगा मेला के आयोजन में प्रदेश सरकार के याम्य विकास विभाग के 'स्वयं सहायता समूह' द्वारा निर्मित उत्पाद तथा 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के सहयोग से निर्मित उत्पादों' स्थानीय उत्पादों (ODOP), तिरंगा रंग की थीम वाली वस्तुओं (खाद्य सामग्री परिधान वस्त्र श्रृंगार सामग्री आदि) का बिक्री एवं प्रदर्शन किया जाये।

V. मुख्य कार्यक्रमों के दौरान 'तिरंगा मेले' में 'तिरंगा प्रदर्शनी का प्रदर्शन किया जायेगा।

VI. वेबसाइट www.harghartiranga.com पर सेल्फी अपलोड करने के लिए 'HGT' सेल्फी बूथों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना और उचित ब्रांडिंग के साथ सुविधा प्रदान करना।

VII. वीआईपी कार्यक्रम के दिन, व्यापक जनभागीदारी के साथ, प्रसिद्ध और स्थानीय कलाकारों द्वारा देशभक्तिपूर्ण सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ भव्य 'तिरंगा संगीत कार्यक्रम' का आयोजन किया जाना।

VIII. प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों, पी०डी०एस० दुकानों (सार्वजनिक बिक्री की दुकानों), खादी भंडारों और स्थानीय बाजार के बख्वालियों आदि के माध्यम से तिरंगा की बिक्री और वितरण का प्रबंधन किया जाना।

IX. सूचना विभाग के माध्यम से समस्त विभिन्न प्रकार के माध्यमों से प्रचार-प्रसार की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

X. प्रत्येक नागरिक को 'झण्डा संहिता' तथा झण्डा फहराने के तरीकों के संबंध में अवगत कराया जाये। इस संबंध में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया आदि के माध्यम से स्पष्ट दिशा-निर्देश समय-समय पर चलाये जायें।

3- तृतीय चरण (दिनांक 13-15 अगस्त 2026)

I. दिनांक 13 से 15 अगस्त 2026 के मध्य सभी आवासित घरों/सरकारी/गैरसरकारी संस्थानों/व्यापारिक प्रतिष्ठानों/शहीद स्मारकों/अमृत सरोवरों आदि पर ध्वजारोहण समारोह और तिरंगा प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। नागरिकगण को तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उसे वेबसाइट www.harghartiranga.com पर अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

II. स्वतंत्रता दिवस के दिन बेसिक एवं माध्यमिक स्कूलों के छात्र-छात्राओं की रैली निकाली जाये। रैली के प्रारम्भ से पूर्व वंदे मातरम् का गायन किया जाये। विद्यालय में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की जाये। रैली के उपरान्त विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किये जायें, जिसमें स्कूल के बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्थानीय खेलों यथा खो-खो, कबड्डी, रस्साकसी आदि का आयोजन किया जाये। मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किये गये जन-प्रतिनिधियों के अभिभाषण के उपरान्त बच्चों को मिष्ठान एवं फल वितरण किया जाये।

III. आंगडबाडी केन्द्र/वृद्धाश्रमों/निरासित आश्रमों/दिव्यांग आश्रमों एवं अन्य बाल सुधारगृहों में 15 अगस्त को कार्यक्रम आयोजित कर मिष्ठान वितरण किया जाये।

IV. ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा पंचायत सचिवालयों में व अमृत सरोवरों में झण्डा फहराया जाये तथा जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर गोष्ठी व व्याख्यान माला आदि का आयोजन किया जाये।

V. समस्त सरकारी कर्मचारी/गैर सरकारी कर्मचारी/शिक्षकों तथा औद्योगिक संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा अनिवार्य रूप से अपने-अपने घरों में तिरंगा लगाया जायेगा।

VI. प्रत्येक जनपद में 15 अगस्त को आयोजित कार्यक्रमों में स्वतंत्रता संग्राम शहीदों के परिजनों/युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों तथा पूर्व सैनिकों को आमंत्रित कर सम्मानित किया जाये।

VII. स्वाधीनता आन्दोलन से जुड़े हुए स्थलों जैसे शहीद स्मारक मेरठ चौरी-चौरा गोरखपुर, झांसी का किला, बिदूर कानपुर, रेजीडेन्सी लखनऊ, बलिया शहीद स्मारक, सुहेलदेव स्मारक बहराइच पर 13 से 15 अगस्त तक कार्यक्रमों का आयोजन कर हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जैसे धनसिंह गुज्जर, शहीद बंधु सिंह, नाना साहब, रानी लक्ष्मी बाई, चित्तू पाण्डेय, मंगल पाण्डेय, गुलाब सिंह लोधी, चन्द्र शेखर आजाद, रामचन्द्र विद्यार्थी जैसे शहीदों को याद किया जाये।

VIII. शहीद स्थलों/स्मारकों/सुमारकों पर पुलिस बैण्ड/पीएसी बैण्ड/होमगार्ड बैण्ड द्वारा सुबह एवं शाम को देशप्रेम संबंधी गीतों की धुन का वादन किया जाये।

IX. प्रदेश के गृह विभाग/पुलिसकर्मियों, अर्धसैनिकबलों, एन०सी०सी०, एन०एस०एस०, सिविल डिफेंस, होमगार्ड्स एवं खेल विभाग आदि के सहयोग से तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया जाना।

X. उक्त आयोजन सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों ब्लॉकों और पंचायतों में आयोजित किए जाएंगे जिनमें स्कूली बच्चों, युवाओं और समाज के सभी वर्गों के लोगों की भागीदारी की भागीदारी सुनिश्चित हो।

XI. तिरंगा रैली में एन०सी०सी०/एन०एस०एस० / नेहरू युवा केन्द्र के साथ-साथ युवक मंगल दल/महिला मंगल दल तथा सिविल डिफेन्स के साथ अन्य स्वयं सेवी संगठनों को भी जोड़ा जाये।

अतः इस सम्बन्ध में आप सभी से यह अपेक्षा की जाती है कि शासन द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या अधोहस्ताक्षरी की ई – मेल आईडी0 dheharghartiranga@gmail.com पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक – यथोक्त।

भवदीय,
Digitally signed by
GYAN PRAKASH VERMA
Date: 07-08-2026
19:38:59

डॉ0 (ज्ञान प्रकाश वर्मा)
संयुक्त शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
कृते शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

पृष्ठांकन संख्या – डिग्री विकास/ 1254 – 58 /उसी तिथि को।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. उप सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग – 1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से निजी विश्वविद्यालयों को उक्त के सम्बन्ध में निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. समस्त प्राचार्य, राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
4. तकनीकी सहायक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।

Digitally signed by
AJIT KUMAR SINGH
Date: 07-08-2026
19:38:14

डॉ0 (अजीत कुमार सिंह)
सहायक शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
कृते शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

महत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्या-787/सत्तर-3-2025-1957545

प्रेषक,

शकील अहमद सिददीकी,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

- 1- निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ०प्र०।
- 3- समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०।
- 4- विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना
कोष्ठक, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3लखनऊ: दिनांक 05 अगस्त, 2026

विषय:- 'हर घर तिरंगा अभियान-2026' के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक संस्कृति अनुभाग के पत्र संख्या- 2225 /चार-2026-1955062, दिनांक 05 अगस्त, 2026 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि शासनादेश संख्या-183/2026/2084/चार-2026-1955062 दिनांक 31 जुलाई, 2026 द्वारा प्रदेश में दिनांक 09 से 17 अगस्त 2026 के बीच 'हर घर तिरंगा अभियान-2026' के आयोजन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। जिला स्तर पर उक्त कार्यक्रम का समन्वय जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में 'हर घर तिरंगा अभियान-2026' के उल्लिखित शासनादेश के क्रम में दिनांक 06 अगस्त से 15 अगस्त, 2026 की अवधि में चरणवार उक्त संदर्भित पत्र के निर्देशानुसार व्यापक जनसहभागिता से 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये हैं:-

1. प्रथम चरण- (दिनांक 06 - 08 अगस्त 2026)

- I. स्कूलों की दीवारों और बोर्डों को तिरंगा से प्रेरित कलाकृतियों से सजाना।
- II. संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रेषित हर घर तिरंगा प्रदर्शनी (वेबसाइट www.harghartiranga.com से डाउनलोड) का प्रदर्शन मुख्य कार्यक्रमों के दौरान एवं शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी भवनों शॉपिंग मॉल, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, बस अड्डा सार्वजनिक उद्यान आदि चिन्हित स्थानों पर किया जाना।
- III. स्कूलों, कॉलेजों, सार्वजनिक स्थलों आदि पर तिरंगा रंगोली प्रतियोगिताओं का आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा।
- IV. विद्यार्थियों द्वारा सैनिकों और पुलिसकर्मियों को 'आभार पत्र' लिखकर 'डाक विभाग के समन्वय से भेजना।
- V. तिरंगा और उससे सम्बन्धित वस्तुओं आदि की विक्री को व्यापक रूप से प्रोत्साहित करते हुए स्थानीय बाजारों में सौंदर्यपरक तिरंगा प्रकाश और सजावट किया जाना।
- VI. पंचायती राज विभाग/नगर विकास विभाग द्वारा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से तैयार किये गये झण्डों का विक्रय सुनिश्चित कर लिया जाये। झण्डों का विक्रय पूर्व के वर्षों की भांति एक टोकन मनी के साथ किया जाये।
- VII. स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े शहीद स्थलों व मूर्तियों एवं तोरण द्वारों की कार्यक्रम से पूर्व साफ-सफाई एवं रंगाई-पुताई का कार्य जिलाधिकारी द्वारा स्थानीय प्रशासन, स्थानीय निकायों, राजनैतिक पेंशन, सैनिक कल्याण, पर्यटन विभाग इत्यादि के माध्यम से करायी जाये।

2- द्वितीय चरण- (दिनांक 09 से 12 अगस्त 2026)

- I. प्रत्येक जिलों में स्कूल/कालेज तथा तकनीकी संस्थानों में जिलाधिकारी द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन प्रमुख पर आधारित प्रतियोगिता करायी जाय, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त विद्यालयों को आमंत्रित कर 26 जनवरी 2027 को सम्मानित किया जाये।
- II. द्वितीय चरण में तिरंगा महोत्सव के रूप में एक बड़ा आयोजन किया जाएगा जिसके अन्तर्गत बृहद 'तिरंगा मेला' और 'भव्य तिरंगा म्यूजिकल कॉसर्ट आयोजित किया जाना।

- III. प्रदेश स्तरीय 'तिरंगा महोत्सव' का आयोजन किसी 'प्रमुख स्थल' पर व्यापक जनभागीदारी के साथ किया जाए। इस कार्यक्रम में स्थानीय माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों एवं खिलाड़ियों की उपस्थिति भी सुनिश्चित की जाएगी।
 - IV. 'तिरंगा मेला' के आयोजन में प्रदेश सरकार के ग्राम्य विकास विभाग के 'स्वयं सहायता समूह' द्वारा निर्मित उत्पाद तथा 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग' के सहयोग से निर्मित उत्पादों 'स्थानीय उत्पादों' (ODOP), 'तिरंगा रंग' की थीम वाली वस्तुओं (खाद्य सामग्री / परिधान / वस्त्र / श्रृंगार सामग्री आदि) का बिक्रा एवं प्रदर्शन किया जाये।
 - V. मुख्य कार्यक्रमों के दौरान 'तिरंगा मेले' में 'तिरंगा प्रदर्शनी' का प्रदर्शन किया जायेगा।
 - VI. वेबसाइट www.harghartiranga.com पर सेल्फी अपलोड करने के लिए 'HGT सेल्फी बूथों' को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना और उचित ब्रांडिंग के साथ सुविधा प्रदान करना।
 - VII. वीआईपी कार्यक्रम के दिन, व्यापक जनभागीदारी के साथ, प्रसिद्ध और स्थानीय कलाकारों द्वारा देशभक्तिपूर्ण सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ भव्य 'तिरंगा संगीत कार्यक्रम' का आयोजन किया जाना।
 - VIII. प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों, पी०डी०एस० दुकानों (सार्वजनिक बिक्री की दुकानों), खादी भंडारों और स्थानीय बाजार के वस्त्रालयों आदि के माध्यम से तिरंगा की बिक्री और वितरण का प्रबंधन किया जाना।
 - IX. सूचना विभाग के माध्यम से समस्त विभिन्न प्रकार के माध्यमों से प्रचार-प्रसार की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
 - X. प्रत्येक नागरिक को 'झण्डा संहिता' तथा झण्डा फहराने के तरीकों के संबंध में अवगत कराया जाये। इस संबंध में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया आदि के माध्यम से स्पष्ट दिशा-निर्देश समय-समय पर चलाये जायें।
- 3- तृतीय चरण (दिनांक 13-15 अगस्त 2026)
- I. दिनांक 13 से 15 अगस्त 2026 के मध्य सभी आवासित घरों/सरकारी/गैरसरकारी संस्थानों/व्यापारिक प्रतिष्ठानों/शहीद स्मारकों/अमृत

सरोवरों आदि पर ध्वजारोहण समारोह और तिरंगा प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। नागरिकगण को तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उसे वेबसाइट www.harghartiranga.com पर अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

- II. स्वतंत्रता दिवस के दिन बेसिक एवं माध्यमिक स्कूलों के छात्र-छात्राओं की रैली निकाली जाये। रैली के प्रारम्भ से पूर्व वंदे मातरम् का गायन किया जाये। विद्यालय में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की जाये। रैली के उपरान्त विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किये जायें, जिसमें स्कूल के बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्थानीय खेलों यथा खो-खो, कबड्डी, रस्साकसी आदि का आयोजन किया जाये। मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किये गये जन-प्रतिनिधियों के अभिभाषण के उपरान्त बच्चों को मिष्ठान एवं फल वितरण किया जाये।
- III. आंगड़वाड़ी केन्द्र/वृद्धाश्रमों/निरासित आश्रमों/दिव्यांग आश्रमों एवं अन्य बाल सुधारगृहों में 15 अगस्त को कार्यक्रम आयोजित कर मिष्ठान वितरण किया जाये।
- IV. ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा पंचायत सचिवालयों में व अमृत सरोवरों में झण्डा फहराया जाये तथा जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर गोष्ठी व व्याख्यान माला आदि का आयोजन किया जाये।
- V. समस्त सरकारी कर्मचारी/गैर सरकारी कर्मचारी/शिक्षकों तथा औद्योगिक संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा अनिवार्य रूप से अपने-अपने घरों में तिरंगा लगाया जायेगा।
- VI. प्रत्येक जनपद में 15 अगस्त को आयोजित कार्यक्रमों में स्वतंत्रता संग्राम शहीदों के परिजनों/युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों तथा पूर्व सैनिकों को आमंत्रित कर सम्मानित किया जाये।
- VII. स्वाधीनता आन्दोलन से जुड़े हुए स्थलों जैसे शहीद स्मारक मेरठ चौरी-चौरा गोरखपुर, झांसी का किला, बिठूर कानपुर, रेजीडेन्सी लखनऊ, बलिया शहीद स्मारक, सुहेलदेव स्मारक बहराइच पर 13 से 15 अगस्त तक कार्यक्रमों का आयोजन कर हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जैसे- धनसिंह गुज्जर, शहीद बंधु

- सिंह, नाना साहब, रानी लक्ष्मी बाई, चित् पाण्डेय, मंगल पाण्डेय, गुलाब सिंह लोधी, चन्द्र शेखर आजाद, रामचन्द्र विद्यार्थी जैसे शहीदों को याद किया जाये।
- VIII. शहीद स्थलों/स्मारकों/सुमारकों पर पुलिस बैण्ड/पीएसी बैण्ड/होमगार्ड बैण्ड द्वारा सुबह एवं शाम को देशप्रेम संबंधी गीतों की धुन का वादन किया जाये।
- IX. प्रदेश के गृह विभाग/पुलिसकर्मियों, अर्धसैनिकबलों, एन०सी०सी०, एन०एस०एस०, सिविल डिफेंस, होमगार्ड्स एवं खेल विभाग आदि के सहयोग से 'तिरंगा वाइक रैली का आयोजन किया जाना।
- X. उक्त आयोजन सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों ब्लॉकों और पंचायतों में आयोजित किए जाएंगे जिनमें स्कूली बच्चों, युवाओं और समाज के सभी वर्गों के लोगों की भागीदारी की भागीदारी सुनिश्चित हो।
- XI. तिरंगा रैली में एन०सी०सी०/एन०एस०एस०/ नेहरू युवा केन्द्र के साथ-साथ युवक मंगल दल/महिला मंगल दल तथा सिविल डिफेंस के साथ अन्य स्वयं सेवी संगठनों को भी जोड़ा जाये।
- 3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by
Shakil Ahmad Siddiqui
Date: 05-08-2026
19:39:03

(शकील अहमद सिददीकी)

संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) निजी सचिव, मा० मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र०।
- (2) निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र०।
- (3) कुलपति, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र०।
- (4) निजी सचिव, प्रमु ख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- (5) निजी सचिव, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- (6) निजी सचिव, समस्त विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- (7) समस्त संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिददीकी)
संयुक्त सचिव।

1-05-08

Comp# 4259734

प्रेषक,

अमृत अभिजात,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

संख्या- 2225 /चार- 2026-1955062

2309/PSMED/pms

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संस्कृति अनुभाग:-लखनऊ: दिनांक 05 अगस्त, 2026

विषय: 'हर घर तिरंगा अभियान-2026' के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-183/2026/2084/चार-2026-1955062 दिनांक 31 जुलाई, 2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रदेश में दिनांक 09 से 17 अगस्त 2026 के बीच 'हर घर तिरंगा अभियान-2026' के आयोजन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। जिला स्तर पर उक्त कार्यक्रम का समन्वय जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। 'हर घर तिरंगा अभियान-2026' के उल्लिखित शासनादेश के क्रम में अभियान की चरण बद्ध रूप रेखा निम्नवत् है:-

1- प्रथम चरण - (दिनांक 06 - 08 अगस्त 2026)

- I. स्कूलों की दीवारों और बोर्डों को तिरंगा से प्रेरित कलाकृतियों से सजाना।
- II. संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रेषित हर घर तिरंगा प्रदर्शनी (वेबसाइट www.harghartiranga.com से डाउनलोड) का प्रदर्शन मुख्य कार्यक्रमों के दौरान एवं शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी भवनों शॉपिंग मॉल, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, बस अड्डा सार्वजनिक उद्यान आदि चिन्हित स्थानों पर किया जाना।
- III. स्कूलों, कॉलेजों, सार्वजनिक स्थलों आदि पर तिरंगा रंगोली प्रतियोगिताओं का आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा।
- IV. विद्यार्थियों द्वारा सैनिकों और पुलिसकर्मियों को 'आभार पत्र' लिखकर 'डाक विभाग के समन्वय से भेजना।
- V. तिरंगा और उससे सम्बन्धित वस्तुओं आदि की बिक्री को व्यापक रूप से प्रोत्साहित करते हुए स्थानीय बाजारों में सौंदर्यपरक तिरंगा प्रकाश और सजावट किया जाना।
- VI. पंचायती राज विभाग/नगर विकास विभाग द्वारा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से तैयार किये गये झण्डों का विक्रय सुनिश्चित कर लिया जाये। झण्डों का विक्रय पूर्व के वर्षों की भांति एक टोकन मनी के साथ किया जाये।
- VII. स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े शहीद स्थलों व मूर्तियों एवं तोरण द्वारों की कार्यक्रम से पूर्व साफ-सफाई एवं रंगाई-पुताई का कार्य जिलाधिकारी द्वारा स्थानीय प्रशासन, स्थानीय निकायों, राजनैतिक पेंशन, सैनिक कल्याण, पर्यटन विभाग इत्यादि के माध्यम से करायी जाये।

2-द्वितीय चरण - (दिनांक 09 से 12 अगस्त 2026)

- I. प्रत्येक जिलों में स्कूल/कालेज तथा तकनीकी संस्थानों में जिलाधिकारी द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन पर आधारित प्रतियोगिता करायी जाय, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त विद्यालयों को सम्मानित कर 26 जनवरी, 2027 को सम्मानित किया जाये।
- II. द्वितीय चरण में तिरंगा महोत्सव के रूप में एक बड़ा आयोजन किया जाएगा जिसके अन्तर्गत वृहद 'तिरंगा मेला' और 'भव्य तिरंगा म्यूजिकल कॉन्सर्ट' आयोजित किया जाना।
- III. प्रदेश स्तरीय 'तिरंगा महोत्सव' का आयोजन किसी 'प्रमुख स्थल' पर व्यापक जनभागीदारी के साथ किया जाए। इस कार्यक्रम में स्थानीय माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों एवं खिलाड़ियों की उपस्थिति भी सुनिश्चित की जाएगी।
- IV. 'तिरंगा मेला' के आयोजन में प्रदेश सरकार के ग्राम्य विकास विभाग के 'स्वयं सहायता समूह' द्वारा निर्मित उत्पाद तथा 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के सहयोग से निर्मित उत्पादों/स्थानीय उत्पादों' (ODOP), तिरंगा रंग की थीम वाली वस्तुओं (खाद्य सामग्री / परिधान / वस्त्र / श्रृंगार

सचिव/
50-3
5/08/26

(आर०पी० चौधरी)
निजी सचिव
प्रमुख सचिव
उच्च शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

- सामग्री आदि) का बिक्री एवं प्रदर्शन किया जाये।
- V. मुख्य कार्यक्रमों के दौरान 'तिरंगा मेले' में 'तिरंगा प्रदर्शनी' का प्रदर्शन किया जायेगा।
 - VI. वेबसाइट www.harghartiranga.com पर सेल्फी अपलोड करने के लिए 'HGT सेल्फी बूथों' को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना और उचित ब्रांडिंग के साथ सुविधा प्रदान करना।
 - VII. वीआईपी कार्यक्रम के दिन, व्यापक जनभागीदारी के साथ, प्रसिद्ध और स्थानीय कलाकारों द्वारा देशभक्तिपूर्ण सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ भव्य 'तिरंगा संगीत कार्यक्रम' का आयोजन किया जाना।
 - VIII. प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों, पी०डी०एस० दुकानों (सार्वजनिक बिक्री की दुकानों), खादी भंडारों और स्थानीय बाजार के वस्त्रालयों आदि के माध्यम से तिरंगा की बिक्री और वितरण का प्रबंधन किया जाना।
 - IX. सूचना विभाग के माध्यम से समस्त विभिन्न प्रकार के माध्यमों से प्रचार-प्रसार की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
 - X. प्रत्येक नागरिक को 'झण्डा संहिता' तथा झण्डा फहराने के तरीकों के संबंध में अवगत कराया जाये। इस संबंध में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया आदि के माध्यम से स्पष्ट दिशा-निर्देश समय-समय पर चलाये जायें।

3- तृतीय चरण (दिनांक 13-15 अगस्त 2026)

- I. दिनांक 13 से 15 अगस्त 2026 के मध्य सभी आवासित घरों/सरकारी/गैरसरकारी संस्थानों/व्यापारिक प्रतिष्ठानों/शहीद स्मारकों/अमृत सरोवरों आदि पर ध्वजारोहण समारोह और तिरंगा प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। नागरिकगण को तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उसे वेबसाइट www.harghartiranga.com पर अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
- II. स्वतंत्रता दिवस के दिन बेसिक एवं माध्यमिक स्कूलों के छात्र-छात्राओं की रैली निकाली जाये। रैली के प्रारम्भ से पूर्व वंदे मातरम् का गायन किया जाये। विद्यालय में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की जाये। रैली के उपरान्त विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किये जायें, जिसमें स्कूल के बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्थानीय खेलों यथा- खो-खो, कबड्डी, रस्साकसी आदि का आयोजन किया जाये। मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किये गये जन-प्रतिनिधियों के अभिभाषण के उपरान्त बच्चों को मिष्ठान एवं फल वितरण किया जाये।
- III. आंगड़बाड़ी केन्द्र/वृद्धाश्रमों/निरासित आश्रमों/दिव्यांग आश्रमों एवं अन्य बाल सुधारगृहों में 15 अगस्त को कार्यक्रम आयोजित कर मिष्ठान वितरण किया जाये।
- IV. ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा पंचायत सचिवालयों में व अमृत सरोवरों में झण्डा फहराया जाये तथा जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर गोष्ठी व व्याख्यान माला आदि का आयोजन किया जाये।
- V. समस्त सरकारी कर्मचारी/गैर सरकारी कर्मचारी/शिक्षकों तथा औद्योगिक संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा अनिवार्य रूप से अपने-अपने घरों में तिरंगा लगाया जायेगा।
- VI. प्रत्येक जनपद में 15 अगस्त को आयोजित कार्यक्रमों में स्वतंत्रता संग्राम शहीदों के परिजनों/युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों तथा पूर्व सैनिकों को आमंत्रित कर सम्मानित किया जाये।
- VII. स्वाधीनता आन्दोलन से जुड़े हुए स्थलों जैसे शहीद स्मारक मेरठ चौरी-चौरा गोरखपुर, झांसी का किला, बितूर कानपुर, रेजीडेंसी लखनऊ, बलिया शहीद स्मारक, सुहेलदेव स्मारक बहराइच पर 13 से 15 अगस्त तक कार्यक्रमों का आयोजन कर हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जैसे- धनसिंह गुज्जर, शहीद बंधु सिंह, नाना साहब, रानी लक्ष्मी बाई, चित्तू पाण्डेय, मंगल पाण्डेय, गुलाब सिंह लोधी, चन्द्र शेखर आजाद, रामचन्द्र विद्यार्थी जैसे शहीदों को याद किया जाये।
- VIII. शहीद स्थलों / स्मारकों पर पुलिस बैण्ड/पीएसी बैण्ड/होमगार्ड बैण्ड द्वारा सुबह एवं शाम को देशप्रेम संबंधी गीतों की धुन का वादन किया जाये।
- IX. प्रदेश के गृह विभाग/पुलिसकर्मियों, अर्धसैनिकबलों, एन०सी०सी०, एन०एस०एस०, सिविल डिफेंस, होमगार्ड्स एवं खेल विभाग आदि के सहयोग से 'तिरंगा बाइक रैली' का आयोजन किया जाना।
- X. उक्त आयोजन सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों ब्लॉकों और पंचायतों में आयोजित किए जाएंगे जिनमें स्कूली बच्चों, युवाओं और समाज के सभी वर्गों के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो।
- XI. तिरंगा रैली में एन०सी०सी०/एन०एस०एस०/नेहरू युवा केन्द्र के साथ-साथ युवक मंगल दल/महिला मंगल दल तथा सिविल डिफेंस के साथ अन्य स्वयं सेवी संगठनों को भी जोड़ा जाये।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त निर्देशानुसार व्यापक जनसहभागिता से 'हर घर तिरंगा अभियान-2026' के सफल क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। संस्कृति विभाग से हर घर तिरंगा अभियान 2026 का समन्वय श्रीमती रीनू रंगभारती, (मो० नं०-9415068031) सहायक निदेशक संस्कृति निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जायेगा। समस्त जनपदों द्वारा कार्यक्रम की सूचना संस्कृति विभाग के पोर्टल <https://culturalevents.in/> के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय
Digitally signed by
AMRIT ABHIJAT
Date: 04-08-2026
18:36:49
(अमृत अभिजात)
अपर मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
2. पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
4. समस्त विभागध्यक्ष, उ०प्र०।
5. निजी सचिव, मा० मंत्री, पर्यटन एवं संस्कृति, उ०प्र०।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त राष्ट्रीय के कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें।
7. निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ०प्र०।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Digitally signed by
DEEPA RANJAN
Date: 05-08-2026
(दीपा रंजन)
विशेष सचिव

कार्यालय शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

पृष्ठांकन संख्या - डिग्री विकास/ 1266-70 /2026-27

दिनांक - 07 अगस्त, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस पत्र के साथ संलग्न शासन के पत्र दिनांक 798/सत्तर - 3 - 2025 - 1957545 दिनांक 07 अगस्त, 2026 के क्रम में हर घर तिरंगा अभियान - 2026 के सम्बन्ध में शासन के पत्र में उल्लिखित दिशा निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें -

1. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग - 3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित ।
2. कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
4. अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से निजी विश्वविद्यालयों को आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र निर्गत करें ।
5. तकनीकी सहायक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें ।

डॉ० (ज्ञान प्रकाश वर्मा)

संयुक्त शिक्षा निदेशक (उ०शि०),

कृते शिक्षा निदेशक (उ०शि०),

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

महत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्या- 798/सत्तर-3-2025-1957545

प्रेषक,

शकील अहमद सिददीकी,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

- 1- निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ०प्र०।
- 3- समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०।
- 4- विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना
कोष्ठक, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 07 अगस्त, 2026

विषय:- 'हर घर तिरंगा अभियान-2026'।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या- 183/2026/2084/चार-2026-1955062, दिनांक 31 जुलाई, 2026 की छायाप्रति संलग्नक सहित प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by

शकील अहमद सिददीकी

Date: 07-08-2026

19:08:18 संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) निजी सचिव, मा० मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र०।
- (2) निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र०।
- (3) कुलपति, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र०।
- (4) निजी सचिव, प्रमु ख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- (5) निजी सचिव, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- (6) निजी सचिव, समस्त विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- (7) समस्त संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिददीकी)

संयुक्त सचिव।

संख्या- 183 /2026/2084/चार-2026-1955062

प्रेषक,

एसओपीओ गोयल

मुख्य सचिव,

उओप्रओ शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, उओप्रओ शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संस्कृति अनुभाग

विषय: 'हर घर तिरंगा अभियान 2026'

महोदया/ महोदय,

लखनऊ: दिनांक 31 जुलाई, 2026

कृपया संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 42-22/119/2022-AKAM(PT II), दिनांक 14 जुलाई, 2026 (छायाप्रति संलग्न) तथा माओ मुख्यमंत्री जी के स्तर पर दिनांक 24, 25 एवं 31 जुलाई, 2026 को सम्पन्न बैठकों में दिए गए निर्देशों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आजादी के अमृत महोत्सव के अन्तर्गत वर्ष 2022 से 'हर घर तिरंगा अभियान' शुरू किया गया था; इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और तिरंगे के साथ व्यक्तिगत एवं भावनात्मक सम्बन्ध बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। पिछले कुछ वर्षों से यह अभियान राष्ट्रीय अस्मिता, देशभक्ति और गौरव के जनभागीदारी आन्दोलन के रूप में सफल बन चुका है।

'हर घर तिरंगा अभियान' का वर्ष 2022, 2023, 2024 एवं 2025 में स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर सम्पूर्ण देश के सभी घरों, कार्यालयों, संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर प्रमुखता से तिरंगा फहराकर सफलापूर्वक आयोजन किया गया। यह अभियान कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों तथा राष्ट्र सेवा एवं सम्मान में अपने प्राणों की आहुति देने वाले महापुरुषों के प्रति आदर का भाव प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है।

इसी भावना को जारी रखते हुए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गीत 'वन्दे मातरम' की 150वीं जयन्ती मनाई जा रही है। भारत सरकार द्वारा वंदे मातरम के तृतीय चरण के साथ 'हर घर तिरंगा अभियान 2026' को उत्सव के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। दिनांक 09 से 17 अगस्त, 2026 के बीच सम्पूर्ण देश में 'हर घर तिरंगा अभियान 2026' का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम को भौतिक एवं डिजिटल दोनों रूप में आयोजित किया जाएगा; भौतिक रूप से तिरंगा फहराते हुए 'वंदे मातरम' का गायन किया जाएगा तथा डिजिटल सैलीब्रेशन के अन्तर्गत तिरंगा के साथ सैल्फी एवं वंदे मातरम के गायन को हर घर तिरंगा की वेबसाइट (www.harghartiranga.com) पर सैल्फी लेते हुए अपलोड किया जाएगा।

राज्य सरकार के विभिन्न विभाग जैसे राजस्व विभाग, नगर विकास विभाग, पंचायती राज विभाग आदि एवं उनकी संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं तथा अन्य संस्थाएं इस अभियान में भाग लेते

उपरसचिव (संस्कृति)
31/07/26

5.00 - 3
06/08/26

1000
श्री. श्री. श्री.
07.08.2026

हुए हर घर तिरंगा की गतिविधियों को जनभागीदारी के साथ संचालित करेंगी। 'हर घर तिरंगा अभियान 2026' के अन्तर्गत निम्नवत् कार्यक्रम पूरे प्रदेश में प्रमुखता से आयोजित किए जाएंगे:-

- **तिरंगा रैली:-** प्रदेश में बड़े पैमाने पर तिरंगा रैलियों का आयोजन सुनिश्चित किया जाए, जिसमें प्रतिभागी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) लेकर चलेंगे तथा रैली के आरम्भ में "वंदे मातरम्" का सामूहिक गायन किया जाएगा। इनमें विद्यार्थी, युवा, सरकारी अधिकारी व कर्मचारी, सशस्त्र बलों के सदस्य, महिला स्वयं सहायता समूह तथा सामाजिक संगठन शामिल होंगे। रैलियों के लिए उचित मार्ग योजना, प्रतिभागियों का पंजीकरण, स्वतन्त्र सत्यापन तथा सुरक्षा एवं अनुशासन समस्त जिलों में सुनिश्चित किया जाए।
- **तिरंगा कौन्सर्ट:-** प्रदेश स्तर पर सभी जनपदों में तिरंगा कौन्सर्ट के आयोजन सुनिश्चित किए जाएंगे, जिनमें युद्धों में शहीद हुए सेनानियों व स्वतन्त्रता संग्राम के शहीदों को परिजनों को आमन्त्रित कर सम्मानित किया जाए। कौन्सर्ट में स्थानीय जन प्रतिनिधियों/ गणमान्य व्यक्तियों को मुख्य अतिथि के रूप में आमन्त्रित करते हुए उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जाए। कौन्सर्ट के अन्तर्गत तिरंगा गान, देशभक्ति के गीतों तथा "वंदे मातरम्" का सामूहिक गायन एवं अन्य राष्ट्रभक्तिपूर्ण सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ - साथ स्कूल बैण्ड/ पुलिस बैण्ड/ आर्मी बैण्ड आदि द्वारा राष्ट्रभक्ति के गीतों की धुनों के वादन को सम्मिलित किया जाए।
- **स्वतन्त्रता दिवस समारोह:-** स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश में जिला प्रशासन द्वारा स्वतन्त्रता दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में "वंदे मातरम्" का सामूहिक गायन तथा राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) का ध्वजारोहण सुनिश्चित किया जाएगा।
- **तिरंगा प्रदर्शनी:-** प्रदेश के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों जैसे शॉपिंग मॉल, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बस अड्डे, सार्वजनिक उद्यान आदि में तिरंगा प्रदर्शनियां आयोजित की जाएं तथा यथासम्भव प्रदर्शनियों का उद्घाटन गणमान्य व्यक्तियों द्वारा कराया जाए। प्रदर्शनियों की रूपरेखा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार की गई है, जिसे हर घर तिरंगा पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। इसका यूआरएल (URL) <https://harghartiranga.com/downloads> है।
- **राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा):-** इस अभियान के अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक घर, कार्यालय, सार्वजनिक उद्यम आदि पर तिरंगा फहराया जाना है। जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि राष्ट्रीय ध्वज की पर्याप्त उपलब्धता हो तथा राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) के वितरण के लिए योजना तैयार कर ली जाए।
- **तिरंगा-थीम आधारित प्रकाश सज्जा एवं अलंकरण:-** प्रदेश के समस्त सरकारी भवनों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, अस्पतालों, विद्यालयों, बाजारों, प्रमुख चौराहों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा-थीम आधारित प्रकाश सज्जा एवं अलंकरण का कार्य कराया जाए।
- **तिरंगा-थीम आधारित रंगोली:-** प्रदेश के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा-थीम आधारित रंगोली बनवाई जाएं।

- तिरंगा-प्रेरित कलाकृतियाँ:- विद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों को प्रोत्साहित किया जाए कि ये परिसर की दीवारों पर तिरंगा-प्रेरित कलाकृतियाँ, स्वतन्त्रता सेनानियों के चित्र (Paintings) तथा "वंदे मातरम" के अंश अंकित करें।
- हर घर तिरंगा अभियान 2026 का प्रचार-प्रसार:- समस्त विभागों एवं जिला प्रशासन तथा अन्य संस्थाओं की आधिकारिक वेबसाइट एवं उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर 'हर घर तिरंगा अभियान 2026' का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए तथा सरकारी कर्मचारियों एवं आम जनमानस को डिजिटल अभियान में भाग लेने हेतु "सैल्फी विद तिरंगा" को हर घर तिरंगा पोर्टल पर अपलोड करने के लिए प्रेरित किया जाए।
- तिरंगा सैल्फी:- तिरंगे के साथ सैल्फी लेते हुए फोटो एवं वंदे मातरम गायन के वीडियो हर घर तिरंगा वेबसाइट पर (www.harghartiranga.com) पर अपलोड किए जाएं। इस कार्य हेतु शिक्षा विभाग के माध्यम से प्रत्येक विद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थान को निर्देश जारी किए जाएं कि विद्यालयों में सैल्फी प्वाइण्ट बनाते हुए विद्यार्थी तिरंगे के साथ सैल्फी लेकर एवं वंदे मातरम गाते हुए वीडियो एवं फोटो अपलोड करें।

हर घर तिरंगा कार्यक्रम में तिरंगा फहराने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2002 में जारी झण्डा संहिता में वर्ष 2021 में संशोधन किया गया है, जिसकी छायाप्रति सुलभ सन्दर्भ हेतु शासनादेश के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-1)

प्रत्येक जिला स्तर पर नामित नोडल का यह दायित्व होगा कि हर घर झण्डा फहराने हेतु नागरिकों को झण्डा फहराने की विधि, झण्डा तैयार करने हेतु निर्देश तथा अन्य जानकारियाँ से स्पष्ट रूप से अवगत कराया जाए। झण्डा फहराने के नियम व झण्डा तैयार करने हेतु निर्देश सुलभ सन्दर्भ हेतु शासनादेश के साथ संलग्न कर प्रेषित किए जा रहे हैं। (संलग्नक-2 व 3)

इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान 2026 का आयोजन वंदे मातरम के 150वें वर्ष के स्मरणोत्सव को समर्पित होगा। भौतिक रूप से आयोजित कार्यक्रमों में वंदे मातरम का गायन अवश्य किया जाए। वंदे मातरम के गायन हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गाइड लाइन्स जारी की गई हैं, जिनको इस लिंक से प्राप्त किया जा सकता है:-https://orders_relatingto_singingplayingnationalsong_nationalanthemofindiaeng_09072026_0_0.pdf। इस शासनादेश के साथ इसका पीडीएफ भी संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-4)

"हर घर तिरंगा अभियान 2026" के सफल आयोजन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दो करोड़ झण्डों का उत्पादन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों एवं शहरी क्षेत्रों में एक करोड़ झण्डों का उत्पादन राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से क्रमशः पंचायतीराज विभाग एवं नगर विकास विभाग द्वारा कराया जाएगा।

संस्कृति विभाग द्वारा हर घर तिरंगा अभियान 2026 के आयोजन हेतु बड़े जनपदों को ₹0 10.00 लाख एवं छोटे जनपदों को ₹0 5.00 लाख की धनराशि प्रति जनपद जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। इस धनराशि से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के क्रय का कार्य नहीं किया जाएगा; यह धनराशि जनपदों में हर घर तिरंगा अभियान 2026 के अन्तर्गत होने वाले अन्य कार्यक्रमों जैसे तिरंगा रैली, तिरंगा कॉन्सर्ट की व्यवस्थाएं, तिरंगा प्रदर्शनियां, रंगोली, प्रतियोगिताएं आदि तथा विभाजन विभीषिका से सम्बन्धित कार्यक्रमों पर व्यय की जाएगी।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त निर्देशानुसार व्यापक जनसहभागिता से 'हर घर तिरंगा अभियान 2026' का सफल आयोजन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोक्त।

भवेदीय,
(प्रस्तावित गीयल) 17/7/2026
मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक तदेव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार को उनके अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 14 जुलाई, 2026 के क्रम में सूचनार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव, माओ मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग/ नगर विकास विभाग, उओप्रओ शासन।
4. पुलिस महानिदेशक, उओप्रओ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उओप्रओ।
6. समस्त विभागध्यक्ष, उओप्रओ।
7. निजी सचिव, माओ मंत्री जी, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, उओप्रओ।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उओप्रओ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें।
9. निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उओप्रओ।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(अमृत अमिजात)
अपर मुख्य सचिव

File No. 92/01/2020-Public (Part-III)
Government of India
Ministry of Home Affairs
(Public Section)

North Block, New Delhi
Dated 30th December, 2021

ORDER

Subject: Amendment in the Flag Code of India, 2002- Reg.

The use/display/hoisting of the Indian National Flag is governed by the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 and the Flag Code of India, 2002, which are available on this Ministry's website www.mha.gov.in. With the approval of the Competent Authority, paragraph 1.2 of Part-I of the Flag Code of India, 2002 has been amended and it shall be read as under :-

"1.2 The National Flag of India shall be made of hand spun and hand woven or machine made, cotton/polyester/wool/silk khadi bunting".


(Vijay Kumar)

Deputy Secretary to the Government of India
Tele No. 2309 3101

To

The Chief Secretaries/Administrators of
All State Governments/UT Administrations,
Secretaries of all Ministries/Departments of Government of India.

Copy to:

1. President's Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi.
2. Vice - President's Secretariat, New Delhi.
3. Prime Minister's Office, South Block, New Delhi.
4. Cabinet Secretariat, New Delhi.
5. Office of all Governors.
6. Election Commission of India, New Delhi.
7. Lok Sabha Secretariat, New Delhi.
8. Rajya Sabha Secretariat, New Delhi.
9. Registrar, Supreme Court of India, New Delhi.
10. Registrar, all High Courts.
11. Office of Comptroller and Auditor General of India, New Delhi.
12. The Union Public Service Commission, New Delhi.
13. Central Vigilance Commission, New Delhi.
14. NITI Aayog, Yojana Bhawan, New Delhi.
15. All attached & Subordinate Offices of the Ministry of Home Affairs.
16. 5 Spare Copies.


(Vijay Kumar)

Deputy Secretary to the Government of India
Tele No. 2309 3101

झण्डा तैयार करने हेतु निर्देश

- 1- झण्डे का आकार आयताकार होना चाहिए।
 - 2- इसकी लम्बाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि झण्डे की लम्बाई 3 फीट हो तो चौड़ाई 2 फीट होनी चाहिए।
 - 3- झण्डा बनाने की सामग्री खादी अथवा हाथ से कता हुआ कपड़ा/मशीन से बना हुआ कपड़ा/सूती/पॉलीस्टर/ऊनी/सिल्क आदि हो सकती है।
 - 4- झण्डे तीन रंगों में सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद तथा नीचे हरे रंग का प्रयोग कर बनाये जायेंगे।
 - 5- सफेद पट्टी में 24 तीलियों वाले अशोक चक्र को बाद में प्रिन्ट किया जाना चाहिए।
-

संलग्नक-3

झण्डा फहराने के नियम

- 1- प्रत्येक नागरिक को अपने आवास/स्कूल तथा सरकारी कार्यालयों में झण्डा सम्मान के साथ झण्डा संहिता का अनुपालन करते हुए फहराना/लگانा है।
- 2- झण्डा फहराते समय सदैव केसरिया रंग की पट्टी झण्डे के ऊपर की तरफ होनी चाहिए।
- 3- झण्डे को यदि सरकारी परिसर में फहराया जाता है तो सूर्योदय के उपरान्त ध्वजारोहण किया जाना चाहिये तथा सूर्यास्त के साथ ही सम्मान के साथ इसे उतारना चाहिए।
- 4- दिनांक 09 से 17 अगस्त, 2026 तक निजी आवासों एवं प्रतिष्ठानों पर लगाये जाने वाले झण्डों को उक्त समयावधि के उपरान्त आदर भाव के साथ उतार कर सुरक्षित रखा जायेगा।
- 5- झण्डा उतारने के बाद किसी भी नागरिक के द्वारा इसे फेंका नहीं जायेगा। उसे सम्मान के साथ फोल्ड करके रखा जाना चाहिए।
- 6- विशेष परिस्थितियों में झण्डा रात्रि में फहराया जा सकता है।
- 7- हर घर पर झण्डा विधिवत् तरीके से लगाया जाना चाहिए। आधा झुका, फटा या कटा झण्डा लगाया जाना निषेध होगा।

राष्ट्रीय गीत वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम् ।
सुजलाम् सुफलाम् मलयजशीतलाम्,
शस्यश्यामलाम् मातरम् ।
वन्दे मातरम् ॥

शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीम्,
फुल्लकुसुमित कुमदलशोभिनीम्,
सुहासिनीम् सुमधुरभाषिणीम्,
सुखदाम् वरदाम् मातरम् ।
वन्दे मातरम् ॥

कोटि-कोटि कण्ठ कल-कल निनाद कराले,
कोटि-कोटि भुजैर्धृत खरकरवाले,
के बॉले माँ तुमि अबले,
बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीम्,
रिपुदलवारिणीं मातरम् ।
वन्दे मातरम् ॥

तुमि विद्या तुमि धर्म, तुमि हृदि तुमि मर्म,
त्वम् हि प्राणाः शरीरे, बाहुते तुमि माँ शक्ति,
हृदये तुमि माँ भक्ति, तोमारेइ प्रतिमा गडि मन्दिरे-मन्दिरे ।
वन्दे मातरम् ॥

त्वम् हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी,
कमला कमलदलविहारिणी,
वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वाम्
नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलाम्,
सुजलां सुफलां मातरम् ।
वन्दे मातरम् ॥

श्यामलाम् सरलाम् सुस्मिताम् भूषिताम्,
धरणीम् भरणीम् मातरम् ।
वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम् ॥

National Song

VANDE MATARAM

Vandē Mātaram, Vandē Mātaram.
Sujalām suphalām malayaja-sheetalām,
Shasya-Shyāmalām Mātaram.
Vandē Mātaram.

Shubhra-jyotsnā pulakita-yāmineem,
Phulla-kusumita druma-dala-shobhineem,
Suhāesineem sumadhura-bhāshineem,
Sukhadām varadām Mātaram.
Vandē Mātaram.

Koti-koti kantha kal-kal nināda karāle,
Koti-koti bhujairdhṛita kharkarvāle,
Ke bole Mā tumi abale,
Bahubaladhāriṇeem namāmi tāriṇeem,
Ripudala-vāriṇeem Mātaram.
Vandē Mātaram.

Tumi vidyā, tumi dharma,
Tumi hṛdi, tumi marma,
Tvam hi prāṇāḥ shareere
Bahute tumi Mā shakti,
Hṛdaye tumi Mā bhakti,
Tomārai pratima gadi mandire-mandire.
Vandē Mātaram.

Tvam hi Durgē dasha-praharaṇa-dhāriṇee,
Kamālā kamala-dala-vihāriṇee,
Vāṇee vidyā-dāyinee,
Namāmi tvām namāmi kamalām,
Amalām atulām,
Sujalām suphalām Mātaram.
Vandē Mātaram.

Shyāmalām saralām susmitām bhūṣhitām,
Dharaṇeem bharaṇeem Mātaram.
Vandē Mātaram, Vandē Mātaram.